दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित जानकारी)

सोमवार, 16 जुलाई, 2007 आषाढ़ 24, 1929 (शक)

संख्या - 211

सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

अधीक्षक केन्द्रीय कारागार सं-3 तिहार, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

निवेदन है कि सिद्धदोष बंदी श्री हरशरण सिंह बल्ली, विधायक पुत्र श्री मलिक सिंह वोहरा को 1985 की रिट याचिका (सिविल) 4677 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र सं0-22 में 2007 की स्वप्रेरणा अवमानना याचिका (सिविल) पर 116/2006 के अन्तर्गत दिनांक 10-4-2007 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दंडादेश के क्रियान्वयन के पश्चात वारन्ट को मूल रूप में लौटाने के निर्देश सहित दिए गए दंडादेश की अनुपालना में जेल में रखा गया।

इस संबंध में आदरपूर्वक निवेदन है कि सिद्धदोष बंदी को 3 माह के कारावास के दंडादेश की अनुपालना हेतु हिरासत में लिया गया एवं 10-04-2007 को जेल भेजा गया तथा उपरोक्त वर्णित मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के पूरा होने के बाद सिद्धदोषी को दिनांक 09-07-2007 को जेल से रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday 16th July, 2007 / **Ashad 25, 1929(Saka)**

No. **211**

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message received from the Superintendent, Central Jail No.3, Tihar, New Delhi.

"It is submitted that convict prisoner Harsharan singh Balli, MLA S/o Malik singh Vohra admitted the Jail in Suo Motu contempt Petition (Civil) No.116 of 2006 in Interiocutory Application No.22 in writ Petition (Civil) 4677 of 1985 to serve sentence awarded by the Hon`ble supreme Court of India on 10.04.2007 with direction to return the warrnt in Original after the execution of Sentence.

In this regard, it is respectfully submitted that convict prisoner was taken into custody and sent to Jail on 10.04.2007 to serve the sentence of imprisonment for 3 months & the convict has been released from the Jail on 09.07.2007 after completion of sentence awarded by the Hon`ble Court in the above noted case.

Submitted please."

SIDDHARATH RAO
SECRETARY